

बाल यौन शोषण एवं दुर्व्यवहार: कारण एवं वश्लेषण

चर्चा में क्यों?

- अभी कुछ समय पहले महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बच्चों के शोषण एवं ऑनलाइन यौन दुर्व्यवहार के वरुद्ध राष्ट्रीय स्तर पर एक गठबंधन बनाने की घोषणा की।
- मंत्रालय का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी व्यापक प्रणाली का विकास करना है, जिसमें बच्चों के माता-पिता, स्कूलों, समुदायों, गैर-सरकारी संगठनों, स्थानीय सरकारों के साथ-साथ पुलिस व वकीलों को भी शामिल किया जाना है।
- ऐसी व्यापक प्रणाली की आवश्यकता इसलिये है ताकि बच्चों की सुरक्षा एवं अधिकार के संबंध में नरिर्मति सभी वैधानिक नियमकों, नीतियों, राष्ट्रीय रणनीतियों एवं मानकों के सटीक क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना संभव हो सके।

बाल दुर्व्यवहार (Child abuse) क्या है?

- बच्चों के साथ शारीरिक, मानसिक, यौनिक अथवा भावनात्मक स्तर पर किया जाने वाला दुर्व्यवहार बाल दुर्व्यवहार कहलाता है। हालाँकि हम बाल दुर्व्यवहार में सामान्यतः यौनिक एवं शारीरिक शोषण को ही शोषण समझते हैं, जबकि मानसिक तथा भावनात्मक स्तर पर होने वाला शोषण भी बच्चों के मानस पर दीर्घकालिक प्रभाव डालता है।
- बाल यौन शोषण का दायरा केवल बलात्कार या गंभीर यौन आघात तक ही समिटा नहीं है बल्कि बच्चों को इरादतन यौनिक कृत्य दिखाना, अनुचित कामुक बातें करना, गलत तरीके से छूना, जबरन यौन कृत्य के लिये मजबूर करना, भोलेपन का फायदा उठाने के लिये चॉकलेट, पैसे आदि का प्रलोभन देना चाइल्ड पोर्नोग्राफी बनाना आदि बाल यौन शोषण के अंतर्गत आते हैं।

कौन करते हैं बाल दुर्व्यवहार?

- अक्सर इसमें शामिल व्यक्ति हमारे आस-पास के रशितेदार, मतिर, पड़ोसी होते हैं, जिनकी हरकतों से उनके कृत्य का पता लगाना कठिन होता है।
- कई बार बाल दुर्व्यवहार मजाक करते-करते कर लिया जाता है, तो कई बार अनुशासन व सुधार के नाम पर दुर्व्यवहार होता है। जिसमें कई बार माता-पिता, अभिभावक, शक्तिष्क, सहपाठी व कोच भी संलपित रहते हैं।

बाल दुर्व्यवहार क्यों होता है?

- कई बार व्यक्ति अपनी दबी यौन कुंठा एवं मनोविकार से ग्रस्त होने के कारण ऐसा करता है।
- तो कई बार पारिवारिक कलह, पुत्र प्राप्ति का अवसाद, पीढीगत दूरी के कारण भी बच्चों के स्वास्थ, शरीर व गरमा को क्षति पहुँचाया जाती है। जिसमें बेवजह बच्चों को पीटना, तेजी से झकझोरना, खलिली उड़ाना, उपेक्षा करना शामिल है।
- बच्चे न तो मजबूत प्रतिरिध कर पाते हैं और न ही उनमें यौन चेतना का विकास होता है। जिससे वे ऐसे अपराधियों के लिये 'सॉफ्ट टारगेट्स' बन जाते हैं।
- हालाँकि ऐसे पीड़ित बच्चों में लड़के एवं लड़कियों दोनों नशाना बनते हैं, लेकिन सामान्यतः इसमें लड़कियों का अनुपात अधिक होता है।

बाल दुर्व्यवहार की स्थिति क्या है?

- 2002 में जारी विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 18 वर्ष से कम उमर के 7.9 प्रतिशत लड़के एवं 19.7 प्रतिशत लड़कियों यौन हसिा की शक्तिार हैं।
- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आँकड़ों के अनुसार 2011 में बाल यौन शोषण के 33,098 मामले दर्ज किये गए। भारत में प्रत्येक 155 मनिट पर 16 से कम उमर के एक बच्चे तथा प्रत्येक 13 घंटे पर 10 से कम उमर के एक बच्चे का बलात्कार होता है।
- यूनिसेफ द्वारा 2005 से 2013 के बीच कशिशोरियों पर किये गए अध्ययन के आँकड़े बताते हैं कि भारत की 10 प्रतिशत लड़कियों को जहाँ 10 से 14 वर्ष से कम उमर में यौन दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा, वहीं 30 प्रतिशत ने 15 - 19 वर्ष के दौरान यौन दुर्व्यवहार झेला।
- 2007 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा भारत के 13 राज्यों पर किये गए अध्ययन में 21 प्रतिशत लोगों ने बचपन में गंभीर यौन शोषण की बात स्वीकारी। वैसे बाल शोषण करने वाले अपराधियों में केवल पुरुष ही नहीं, बल्कि कम अनुपात के साथ महिलाएँ भी शामिल होती हैं।

बाल यौन शोषण एवं दुर्व्यवहार के परिणाम

- नःसिंदेह बाल यौन शोषण एक जघन्य कृत्य है। इससे बच्चे के अवचेतन मन में अनजाना सा डर घर कर जाता है और वे अवसाद, बुरे सपने, आत्मग्लानि, आत्मवश्रिवास की कमी, बस्रितर गीला करना, अनदिरा जैसे मनोवकिारों से ग्रस्त हो जाते हैं।
- मानसकि तथा भावनात्मक स्तर पर कथिा जाने वाला यह शोषण बच्चे के अंतःमन में गहरा बैठ जाता है, जो धीरे-धीरे समय के साथ कुंठा बनकर दूसरों के साथ यौन शोषण करने के लथिि परेरति भी करता है। यह मनोवकिार उसके जीवन का हस्रिसा बनकर एक अपराधबोध का बोझ बन जाता है। जसि कारण बच्चे कई बार बड़े होने पर भी इस मानसकि ग्लानिा से उबर नहीं पाते।

बाल यौन शोषण के वरिदुध कानून

- बाल अधकिारों की रक्षा के लथिि 'संयुक्त राषुटर का बाल अधकिार कन्वेंशन (CRC)' एक अंतरराषुट्रीय समझौता है, जो सदस्य देशों को कानूनी रूप से बाल अधकिारों की रक्षा के लथिि बाध्य करता है।
- भारत में बाल यौन शोषण एवं दुर्व्यवहार के खलिराफ सबसे प्रमुख कानून 2012 में पारति यौन अपराध के खलिराफ बच्चों का संरक्षण कानून (POCSO) है। इसमें अपराधों को चहिनति कर उनके लथिि सख्त सजा नरिधारति की गई है। साथ ही त्वरति सुनवाई के लथिि स्पेशल कोरुट का भी प्रावधान है।
- यह कानून बाल यौन शोषण के इरादों को भी अपराध के रूप में चहिनति करता है तथा ऐसे कसिी अपराध के संदरभ में पुलसि, मीडथिा एवं डॉक्टर को भी दशानरिदेश देता है।
- वैसे भारतीय दंड संहतिा की धारा 375 (बलात्कार), 372 (वेश्यावृत्त के लथिि लडकथिों की बकिरी), 373 (वेश्यावृत्त के लथिि लडकथिों की खरीद) तथा 377 (अपराकृतकि कृत्य) के अंतरगत यौन अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु सख्त कानून का प्रावधान है।

बाल यौन शोषण के वरिदुध वैधानकि प्रावधानों की सीमाएँ

- धारा 375 में बलात्कार को आपराधकि कृत्यों के अंतरगत परभिषति कथिा गया है। कतिु इस धारा के कुछ प्रावधान व व्याख्या संकीरण है। इसमें छेड़-छाड़, गलत तरीकों से छूना, देर तक घूरना तथा उत्पीड़न आदकिे संदरभ में स्पष्ट प्रावधानों की कमी नजर आती है। जबकि इस प्रकार के कृत्यों पीड़ति को मानसकि तथा भावनात्मक रूप से गहरे आघात पहुँचाते हैं।
- भारतीय दंड संहतिा की धारा 375 के अंतरगत ऐसे संबंध जनिमें यद वियक्ती 15 वर्षीय पत्नी के साथ यौन संबंध बनाता है तो उसे अपराध के दायरे से बाहर रखा गया है, जबकि हमारा कानून (बाल वविाह नषिध अधनियिम, 2006) बाल वविाह का प्रतषिध करता है।

आगे की राह

- वैसे तो भारत में बाल यौन शोषण एवं दुर्व्यवहार के खलिराफ व्यापक कानूनी ढाँचा है। कतिु इतने कानूनों एवं योजनाओं के बावजूद इनकी तकनीकी चूक तथा इनके कार्यानवयन में अनथिमतिता, त्वरति काररवाई न होने के कारण ये घटनाएँ होती हैं।
- इसके लथिि जरूरी है सजगता एवं जागरूकता। ऐसे में जरूरी है कि प्राथमकि स्तर पर घर-परविर, माता-पति एवं परजिन बच्चों से मलिने वालों एवं उनके साथ खेलने वालों के प्रतसिजग रहे वही बच्चों को भी असामान्य 'व्यवहार' के प्रतसिजग रहने के लथिि परेरति करना चाहथिि।
- स्कूलों में जहाँ अनविरय मनोवैज्ञानकि कैंप होने चाहथिि, तो वही डॉक्टर, मीडथिा व पुलसि को भी इन घटनाओं के प्रतसिंवेदनशील होना चाहथिि।
- इंटरनेट, मोबाइल, सोशल मीडथिा के अश्लील सामग्री पर अवलिंब रोक लगनी चाहथिि। वही इंटरनेट साइट्स पर पैरेंटल कंटरोलन के वकिल्प को मजबूत करना चाहथिि।